



# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नरमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर—302001

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ़ी, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत्ति सिंह	नटवर लाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133—44625	मो. 94143—52597	मो. 94140—56109	मो. 94143—96596

क्रमांक : रा.शिक्षक संघ(राष्ट्रीय) / महामंत्री / 117

दिनांक —07.06.2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,  
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय :— अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह शिक्षकों के लिए भी जन—अनुशासन पखवाड़ा लॉक—डाऊन अवकाश होने से सही मायने में ग्रीष्मावकाश नहीं मिल पाने के एवज में 15 उपर्जित अवकाश का स्वत्व प्रदान करने आदेश पारित करवाने बाबत।

संदर्भ :— शिक्षा विभाग द्वारा अनियमित तरीके से लॉक—डाऊन अवकाश अवधि को ग्रीष्मावकाश में समायोजित किये जाने के संदर्भ में।

प्रसंग :— श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक/शिविरा—माध्य/मा—स/22418/2020—21 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 7 जून 2021 तक राज्य के समस्त विभागों के कार्मिकों व आमजन के लिए जन—अनुशासन पखवाड़े के तहत लॉक—डाऊन कर दिया गया एवं उक्त अवधि में समस्त कार्यालय व विद्यालयों में अवकाश रहा।

यह कि उक्त जन—अनुशासन पखवाड़ा लॉक—डाऊन अवधि में अन्य विभागों के कार्मिकों को लॉक—डाऊन अवकाश एवं राज्य सरकार के नियमों के अध्यादेश ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने की एवज में 15 अतिरिक्त पीएल का लाभ मिलना जारी रहा। अन्य किसी भी विभाग द्वारा अपने कार्मिकों के लिए ग्रीष्मावकाश के बदले मिलने वाली पीएल का समायोजन लॉक—डाऊन अवकाश के उपभोग के बदले समायोजित करने के आदेश नहीं किये गए। यानी ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने की एवज में पीएल भी दी जा रही है और लॉक—डाऊन अवकाश भी प्रदान किया जा रहा है।

जबकि शिक्षकों के मामले में राज्य के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को मिले लॉक—डाऊन अवकाश के मध्य ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया यानी लॉक—डाऊन अवकाश को ग्रीष्मावकाश में समायोजित कर दिया। इस प्रकार सही मायने में तो शिक्षकों को लॉक—डाऊन अवकाश अन्य कार्मिकों की तरह ही मिला है। ऐसे में वास्तविक रूप से शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश नहीं मिल पाया। ऐसे में शिक्षकों को भी अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने की एवज में 15 अतिरिक्त पीएल दिया जाना न्यायसंगत रहेगा।

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षकों का सत्र प्रति वर्ष जुलाई माह से जून माह तक चलता है तथा ग्रीष्मावकाश 17 मई से 20 जून तक रहते हैं। वहीं जन—अनुशासन पखवाड़ा लॉक—डाऊन अवधि 17 अप्रैल 2021 से 7 जून 2021 के बीच घोषित की गई। जिसमे राज्य के अन्य विभागों के कार्मिकों ने अवकाश का उपभोग किया। इसी अवधि में शिक्षकों के लिए भी जन—अनुशासन पखवाड़ा लॉक—डाऊन अवकाश होने से अवकाश था। किन्तु शिक्षा विभाग द्वारा लॉक—डाऊन अवकाश को ग्रीष्मावकाश में समायोजित कर दिया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों को सही

मायने में ग्रीष्मावकाश का लाभ नहीं मिल पाया। साथ ही विभाग द्वारा अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह ग्रीष्मावकाश के बदले मिलने वाले 15 अतिरिक्त उपार्जित अवकाश देने की घोषणा भी नहीं की गई। जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है।

संगठन का आग्रह है कि जिस प्रकार अन्य विभागों के कार्मिकों को लॉक-डाऊन अवकाश उपभोग के साथ ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने से 15 अतिरिक्त पीएल का स्वत्व प्रदान किया जा रहा है। उसी प्रकार सत्र 2020–2021 में शिक्षकों को भी लॉक-डाऊन अवकाश उपभोग के साथ सही मायने में ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने से 15 अतिरिक्त पीएल का लाभ प्रदान किया जावे तथा भविष्य में लॉक-डाऊन अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश अवधि को ग्रीष्मावकाश में रूपांतरित या समायोजित नहीं करने हेतु शिक्षा विभाग को पाबंद करवाते हुए राहत प्रदान करने का कष्ट करावे।

**भवदीय**



(अरविन्द व्यास)

महामंत्री